

संशोधित

प्रति

समस्त शाखायें/समस्त कार्यालय/विभाग/डाटा सेन्टर मुंबई

विषय:- ऋणों पर सेवा प्रभार में संशोधन।

संदर्भ :- प्र.का./06/एफ. नं. 33/साख/2017-18/परिपत्र क्रं.73 दिनांक 30.08.2017

**प्राथमिकता क्षेत्र एवं गैरप्राथमिकता क्षेत्र ऋणों पर सेवा प्रभार**

विवरण	सेवा प्रभार परिपत्र क्रं. 44 दिनांक 28.09.2012	दिनांक 01.09.2017 से लागू सेवा प्रभार
अग्रिमों-मूल्यांकन शुल्क * (1) प्राथमिकता/गैरप्राथमिकता क्षेत्र की नगद साख सीमा/कार्यशील पूंजी सीमा एवं प्राथमिकता क्षेत्र के सावधि ऋणों हेतु प्रक्रिया/मूल्यांकन शुल्क जिसमें नान फन्ड बेस सुविधाएँ भी सम्मिलित नहीं है। (सभी कृषि ऋणों एवं रिटेल ऋण योजना हेतु पृथक से प्रभार दिए गये हैं।		
1. रु. 25000/-तक	निरंक	निरंक
2. रु.25000/-से अधिक एवं रु.2.00 लाख तक	रु. 500/-	रु. 500/-
3. रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु.5.00 लाख तक	रु. 250/-प्रति लाख या उसका हिस्सा न्यूनतम रु. 500/	रु. 250/-प्रति लाख या उसका हिस्सा ।
4. रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक	स्वीकृत राशि पर 0.25% (न्यूनतम रु. 1250/-एवं अधिकतम रु. 12500/-)	स्वीकृत राशि पर 0.25% (न्यूनतम रु. 1250/-एवं अधिकतम रु. 12500/-)
5. रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 100.00 लाख तक	स्वीकृत राशि पर 0.30% (न्यूनतम रु. 15000/-एवं अधिकतम रु. 30,000/-)	स्वीकृत राशि पर 0.30 % (न्यूनतम रु. 15000/-एवं अधिकतम रु. 30,000/-)
6. रु. 100.00 लाख से अधिक	स्वीकृत राशि पर 0.40 % (न्यूनतम रु. 40000/-एवं अधिकतम रु.20 लाख)	रु.350 प्रति लाख अधिकतम रु.35.00 लाख
उपरोक्त प्रभार नवीनीकरण पर भी लागू रहेंगे।		



	<p>नान फण्ड बेस्ड अग्रिमों पर उपरोक्त दर्शित सीमा का 50% लिया जायेगा। # कंसर्टियम अग्रिमों के मामले में कंसर्टियम में हुई सहमति के आधार पर नोट:-उपरोक्त प्रभार नवीनीकरण पर भी लागू रहेंगे।</p>	<p>नान फण्ड बेस्ड अग्रिमों पर उपरोक्त दर्शित सीमा का 50% लिया जायेगा। अधिकतम राशि रु.17.50 लाख कार्यशील पूंजी फण्ड बेस/नान फण्ड बेस सम्मिलित प्रकरणों में उपरोक्त दरों से लागू होगा अधिकतम 35.00 लाख होगा। नोट:-100 प्रतिशत नकद अथवा बैंक सावधि के विरुद्ध बैंक गारंटी जारी करने पर कोई भी प्रोसेसिंग प्रभार वसूला नहीं जावेगा।</p>
(2) तदर्थ स्वीकृति (एडहॉक स्वीकृति)	<p>आनुपातिक आधार पर स्वीकृति अवधि /समायोजन किये जाने तक निम्न शर्तों के अधीन जो भी बाद में हेतु सामान्य प्रक्रिया प्रभार वसूले जायेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• रु. 10.00 लाख तक न्यूनतम रु.1000/-</li><li>• रु.10.00 लाख से अधिक परंतु रु.100.00 लाख तक न्यूनतम रु. 5000/-</li><li>• रु. 100.00 लाख से अधिक पर स्वीकृत राशि का 0.04%</li></ul>	<p>आनुपातिक आधार पर स्वीकृति अवधि /समायोजन किये जाने तक जो भी बाद में हेतु सामान्य प्रक्रिया प्रभार वसूले जायेंगे।</p>
(3) कृषि सावधि ऋणों हेतु प्रोसेसिंग/मूल्यांकन शुल्क (अ) रु. 50,000/-तक (ब) रु. 50,001 से रु.2.00 लाख तक (स) रु. 200001/-से 5.00 लाख तक (द) रु. 5.00 लाख से अधिक	<p>निरंक रु.500/- रु.1000/- रु.200/-प्रति लाख अधिकतम रु. 1.00 लाख</p>	<p>निरंक रु.500/- रु.1000/- रु.200/-प्रति लाख अधिकतम रु. 1.00 लाख</p>
(4) कृषि अल्पावधि /के.सी.सी. ऋणों हेतु प्रोसेसिंग/मूल्यांकन शुल्क (अ) रु.3.00 लाख तक (ब) रु. 3.00 लाख से अधिक	<p>निरंक स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत</p>	<p>निरंक स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत</p>

(5) एलआईसी पॉलीसी/म्यूच्यूल फंड एवं एन.एस.सी. के विरुद्ध अग्रिम- i. रु. 25000/-तक	•निरंक	•निरंक
ii. रु. 25000/-से अधिक एवं रु. 1.00 लाख तक	*रु. 750/-	*रु. 750/-
iii. रु. 1.00 लाख से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक	* रु. 2000/-	राशि रु..1 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक रु. 2000/-
iv रु. 2.00 लाख से अधिक	* स्वीकृत राशि पर 1% अधिकतम रु.15000/-	स्वीकृत राशि रु. 10.00 लाख से अधिक पर 1% अधिकतम रु. 15000/- उपरोक्त प्रभार एक बारगी प्रथम स्वीकृति पर वसूले जावेगे। नवीनीकरण पर लागू नहीं होंगे।
(6) बैंक की स्वयं की सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
(7) गैर प्राथमिकता क्षेत्र के सावधि ऋणों हेतु प्रक्रिया/मूल्यांकन शुल्क (कृषि ऋणों को छोड़कर) 1. रु.2.00 लाख तक 2. रु. 2.00 लाख से अधिक परंतु रु.50.00 लाख तक 3. रु. 50.00 लाख से अधिक	निरंक स्वीकृत राशि का 1%  स्वीकृत राशि का 0.50% अधिकतम रु. 50,000/-	निरंक स्वीकृत राशि का 1%  स्वीकृत राशि का 0.50% अधिकतम रु. 50,000/-
(8) रिटेल ऋण योजनाओं हेतु प्रोसेसिंग/मूल्यांकन शुल्क		
1. सेन्ट एम.पी. आवास ऋण योजना	स्वीकृत ऋण राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 20,000/-	स्वीकृत ऋण राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 20,000/-

2. सेन्ट एम.पी. ट्रेड योजना रु. 25,000/-तक	निरंक	निरंक
रु. 25001/-रु.2.00 लाख तक	रु. 250/-प्रति प्रस्ताव	रु. 250/-प्रति प्रस्ताव
रु. 200001/-से रु.100.00 लाख तक	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत
3. सेन्ट एम.पी.रियल इस्टेट मार्टगेज योजना	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत
4. सेन्ट एम.पी. रेंटल ऋण योजना	स्वीकृत राशि पर 1 प्रतिशत	स्वीकृत राशि पर 1 प्रतिशत
5. सेन्ट एम.पी. व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण योजना	रु. 500/-प्रति प्रस्ताव	रु. 500/-प्रति प्रस्ताव

854, Near Maharshi Vidhya Mandir School, Nagpur Road, Sarra, Chhindwara (M.P.) Pin Code - 480 001

Phone no: 07162 - 247485, 245530, Fax:07162-242112, E-mail ID: [cmpgbho@gmail.com](mailto:cmpgbho@gmail.com)

[www.centralmpgraminbank.com](http://www.centralmpgraminbank.com)

6. सेन्ट एम.पी. दो पहिया/चार पहिया वाहन ऋण योजना	दो पहिया वाहन हेतु रु. 500/-प्रति प्रस्ताव चार पहिया वाहन हेतु रु. 2000/-प्रति प्रस्ताव	दो पहिया वाहन हेतु रु. 500/-प्रति प्रस्ताव चार पहिया वाहन हेतु रु.2000/-प्रति प्रस्ताव
7. रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टिशनरों हेतु ऋण योजना	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/-	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/-
8. वेयर हाउस मालिक को कृषकों/व्यापारियों को देने हेतु ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 25,000/-	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम रु. 25,000/-
9. प्रायवेट/शासकीय वेयर हाउस में भंडारित माल की रसीदों के विरुद्ध सावधि ऋण/ओव्हर ड्राफ्ट	प्राथमिकता क्षेत्र हेतु वसूले जा रहे प्रक्रिया शुल्क/मूल्यांकन शुल्क के अनुसार	प्राथमिकता क्षेत्र हेतु वसूले जा रहे प्रक्रिया शुल्क/मूल्यांकन शुल्क के अनुसार
10. सेन्ट एम.पी. शिक्षा ऋण	निरंक	निरंक
11. लघु सड़क परिवहन परिचालकों (SRTO) हेतु योजना		
(अ) रु. 25000/-तक	निरंक	निरंक
(ब) रु.25000/-से अधिक रु.50. लाख तक	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत	स्वीकृत राशि पर 0.5 प्रतिशत
12. मोबाईल रिपेरिंग शॉप		
(अ) रु. 25000/-तक	निरंक	निरंक
(ब) रु.25000/-से अधिक	स्वीकृत राशि पर 0.5% न्यूनतम रु.500/-	स्वीकृत राशि पर 0.5% न्यूनतम रु.500/-
(9) कमिटमेंट चार्ज प्रतिबद्धता प्रभार	रु. 1 करोड एवं इससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा/नगद साख सीमा पर निम्नानुसार प्रतिबद्धता प्रभार वसूला जायेगा-  परिचालित/आहरण सीमा के अनआहरित भाग पर 0.25%प्रति वर्ष परिचालित सीमा पर त्रैमासिक आधार पर 25%का टालरेंस स्तर अनुमत है।	रु. 1 करोड एवं इससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा/नगद साख सीमा पर निम्नानुसार प्रतिबद्धता प्रभार वसूला जायेगा-  परिचालित/आहरण सीमा के अनआहरित भाग पर 0.50% प्रति वर्ष दर से त्रैमासिक वसूला जायेगा

(10) सावधि ऋणों पर अपफ्रन्ट फी		<p>स्वीकृत राशि रु.100 लाख तक निरंक सावधि ऋण 5 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>राशि रु.1 करोड से अधिक 10.00 करोड तक 1%</li> <li>राशि रु.10 करोड से अधिक 100 करोड तक 0.75% (न्यूनतम राशि रु.10.00 लाख)</li> <li>राशि रु.100 करोड से अधिक 0.50%(न्यूनतम राशि रु.75.00 लाख अधिकतम रु. 180.00लाख )</li> </ol> <p>सावधि ऋण 1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष की अवधि हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>राशि रु.1.00 करोड से अधिक 25.00 करोड तक 0.90%</li> <li>राशि रु.25.00 करोड से अधिक 0.75%</li> </ol> <p>सावधि ऋण 1 वर्ष तक</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>राशि रु.1 करोड से अधिक रु.25.00 करोड तक 0.75% (अधिकतम राशि रु.10 लाख)</li> <li>राशि रु.25.00 करोड से अधिक 0.75% (अधिकतम राशि रु.25.00 लाख)</li> </ol>
(11) सावधि ऋणों का नवीनीकरण	नया सम्मिलित किया गया	<p>सावधि ऋणों का नवीनीकरण</p> <p>राशि रु.5.00 करोड तक निरंक राशि रु.5.00 करोड से अधिक रु.75.00 प्रति लाख</p>
(12)सावधि ऋणों की स्वीकृति को पुर्न वैधता	नया सम्मिलित किया गया	<p>* राशि रु.1 करोड तक निरंक * राशि रु.1 करोड से अधिक लागू सामान्य फीस के अतिरिक्त मूल्यांकन शुल्क एवं अपफ्रन्ट फीस का 25 प्रतिशत</p>
13) निरीक्षण प्रभार	प्रति निरीक्षण	प्रति निरीक्षण
रु. 50000 /-तक	निरंक	निरंक
रु. 50000 /-से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक	रु.250 /-	रु.250 /-
रु.2.00 लाख से अधिक एवं रु.25.00 लाख तक	रु.1000 /-	रु.1000 /-

रु.25.00 लाख से अधिक एवं रु.50.00 लाख तक	रु.1500/-	रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु.100.00 लाख तक रु.1500/-
रु.50.00 लाख से अधिक एवं रु.1.00 करोड तक	रु.5000/-	रु. 100.00 लाख से अधिक एवं रु.10.00 करोड तक रु.5000/-
रु. 1.00 करोड से अधिक	रु.10000/-	रु.10.00 करोड से अधिक रु.10000/-
(14) पूर्व भुगतान प्रभार	रु. 20.00 लाख एवं इससे अधिक के स्वीकृत सभी सावधि ऋण खातों पर पूर्व भुगतान राशि पर 1%की दर से पूर्व भुगतान पेनाल्टी ली जाए। (आवास ऋण पर पूर्व भुगतान पेनाल्टी नहीं ली जायेगी)	रु. 20.00 लाख एवं इससे अधिक के स्वीकृत सभी सावधि ऋण खातों पर पूर्व भुगतान राशि पर 1%की दर से पूर्व भुगतान पेनाल्टी ली जाए। उपरोक्त प्रभार अदायगी हेतु शेष बची हुई अवधि हेतु अनुपातिक आधार पर वसूला जावे जो कि अधिकतम 2 प्रतिशत से अधिक न होवे। (आवास ऋण पर पूर्व भुगतान पेनाल्टी नहीं ली जायेगी) परंतु यदि खाता अन्य बैंक द्वारा टेकओव्हर किया जाता है तो पूर्व भुगतान प्रभार उक्तानुसार वसूला जावेगा।
(15) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना निम्नानुसार सीमा तथा ऋण सुविधा भोगी द्वारा प्राप्त करने हेतु निधी की प्राप्ति एवं प्रभार निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना-		
i. रु. 10.00 लाख तक	रु. 1000/-प्रति प्रमाण पत्र	रु. 1000/-प्रति प्रमाण पत्र
ii. रु.10.00 लाख से अधिक एवं रु.50.00 लाख	रु. 2000/-प्रति प्रमाण पत्र	रु. 2000/-प्रति प्रमाण पत्र
iii. रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड तक	रु. 3000/-प्रति प्रमाण पत्र	रु. 3000/-प्रति प्रमाण पत्र
iv. रु. 1.00 करोड से अधिक	रु. 10000/-प्रति प्रमाण पत्र	रु. 10000/-प्रति प्रमाण पत्र
(16) दस्तावेजीकरण प्रभार	वर्तमान मे लागू नहीं	1. राशि रु.2.00 लाख तक शून्य 2. राशि रु.2 लाख से अधिक रु.10.00 लाख तक रु.250 प्रति लाख अधिकतम रु.2500/- 3. राशि रु.10 लाख से अधिक रु. 100 लाख तक रु 230 प्रति लाख न्यूनतम रु. 2500/-अधिकतम रु 20000/- 4. राशि रु.100 लाख से अधिक रु 200 प्रति लाख

		<p>न्यूनतम 20000 /- अधिकतम रु.50000 /-</p> <p>उपरोक्त प्रभार केवल नये दस्तावेज प्राप्त (नई स्वीकृति/सीमावृद्धि/दस्तावेजों के नवीनीकरण)करते समय ही वसूला जावे। प्राथमिकता क्षेत्र के राशि रु.50 लाख तक के ऋणों पर प्रभावी नहीं होंगे।</p>
(17) बंधक प्रभार:-	वर्तमान में लागू नहीं	<p><u>मूल बंधक एवं बंधक विस्तार अथवा अतिरिक्त बंधक पर लागू बंधक प्रभार-</u></p> <p>1. राशि रु. 10 लाख तक के बंधक पर 3 बंधक हेतु राशि रु.1000 /- <b>4 से 6 बंधक हेतु</b> राशि रु.2000 /- वसूला जावे। छः से अधिक बंधक की स्थिति में छः बंधक हेतु राशि रु. 2000 और अतिरिक्त प्रत्येक बंधक हेतु राशि रु.1000 /-वसूला जावेगा।</p> <p>2. राशि रु. 10 लाख से अधिक रु.100.00 लाख तक के बंधक पर राशि रु.50 प्रति लाख न्यूनतम राशि रु.1000 /-अधिकतम राशि रु. 5000 /-तीन बंधक तक और राशि रु.75 प्रति लाख न्यूनतम राशि रु.2000 /-अधिकतम राशि रु. 7500 /-तीन बंधक से अधिक पर वसूला जावेगा।</p> <p>3. राशि रु.100 लाख से अधिक के बंधक पर राशि रु.75.00 प्रति लाख न्यूनतम राशि रु.7500 /-अधिकतम राशि रु. 25000 /-तीन बंधक तक और राशि रु.100 /-प्रति लाख न्यूनतम राशि रु.10000 /- अधिकतम राशि रु.35000 /-तीन बंधक से अधिक पर वसूला जावेगा।</p>

(18) दण्ड ब्याज		<p>बैंक द्वारा दण्ड ब्याज निम्न स्थिति में प्रभारित किया जावेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्वीकृति शर्त के अनुपालन नहीं किये जाने एवं अनुपालन/समायोजन तिथि तक मासिक अतिदेय राशि पर 1 प्रतिशत प्रभारित किया जावेगा।</li> <li>यदि 3 माह से अधिक अवधि तक नवीनीकरण हेतु डाटा विलब से प्रस्तुत करने पर 1 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय दिनांक से मासिक अंतराल पर वसूला जावेगा।</li> <li>स्टाक स्टेटमेंट, बुक डेट मासिक आधार पर अगले माह के तारीख 15 तक या स्वीकृति शर्त अनुसार जमा न करने पर 1 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय दिनांक से वसूला जावेगा।</li> <li>अंकेक्षित वित्तीय विवरण समय पर उपलब्ध न करवाने पर 1 नवंबर से जमा करने की वास्तविक दिनांक तक प्रतिमाह 1 प्रतिशत दण्ड ब्याज वसूला जावेगा।</li> <li>बैंक द्वारा अन्य कोई परिस्थिति निर्धारित किये जाने पर।</li> <li>सावधि ऋणों के अनियमित भाग पर मासिक आधार पर 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज वसूला जावेगा।</li> </ol> <p><b>नोट:</b>—कुल समेकित दण्ड ब्याज 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</p>
बिन्दु 01 से 05 तक दंड प्रभार शाखा स्तर से मैन्युली वसूला जाना है। बिन्दु क्रं. 06 में सिस्टम द्वारा वसूला जावेगा।		
(19) सिबिल प्रभार	राशि रु.50 प्रति रिपोर्ट	कंज्यूमर रु.100 प्रति सिबिल वाणिज्यिक कंपनी प्रकरणों में रु.1000 प्रति सिबिल
(20) सरसाई प्रभार	वास्तविक	वास्तविक आधार पर
(21) व्यवसायिक ब्याज दर	12.50%+4 %	12.50%+4%
(22) बैंक गारंटी पर कमीशन—		
(1) रु. 1 करोड तक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी	* रु. 200+2%प्रति वर्ष * रु. 200+3%प्रति वर्ष	2.5%वार्षिक न्यूनतम राशि रु.1500/—
(2) रु. 1 करोड से अधिक एवं		



रु. 10 करोड तक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी	* रु. 200+1.5%प्रति वर्ष * रु. 200+2.5%प्रति वर्ष	2.0% वार्षिक
(3)रु.10 करोड से अधिक रु.50 करोड तक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी	* रु. 200+1%प्रति वर्ष * रु. 200+2.%प्रति वर्ष	1.75% वार्षिक
(4)रु.50 करोड से अधिक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी	* रु. 200+1%प्रति वर्ष * रु. 200+2.%प्रति वर्ष	1.25% वार्षिक
गारंटी का नवीनीकरण	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
<b>नोट</b> —जहां शत प्रतिशत तरल प्रतिभूति बैंक के सावधि जमा से 100%प्रतिभूत गारंटी पर के मामलो में।	सामान्य दरो का 25%	सामान्य दरो का 25%
गारंटी कमीशन वापस करना:—यदि अवधि समाप्ति के पूर्व गारंटी वापस की जाती है तब केवल गारंटी कमीशन का भाग ही वापस किया जावे, जिसकी गणना गारंटी की बकाया अवधि को 3 माह कम करते हुये शेष अवधि के लिये मूल दर की आधी दर पर <b>(50 % of original rate)</b> की जावें।		
(23) रिस्ट्रक्चरींग ऑफ अकाउंटस्—		
1. रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 300.00 लाख तक	*रिस्ट्रक्चर राशि का 0.02%न्यूनतम रु.500 एवं अधिकतम रु. 5000 /—	रिस्ट्रक्चर राशि का 0.02%न्यूनतम रु. 500 एवं अधिकतम रु. 5000 /—
2. रु. 300.00 लाख से अधिक एवं रु. 600.00 लाख तक	*रिस्ट्रक्चर राशि का 0.03% अधिकतम रु. 15000 /—	रिस्ट्रक्चर राशि का 0.03% अधिकतम रु. 15000 /—
3. रु. 600.00 लाख से अधिक	*रिस्ट्रक्चर राशि का 0.05% अधिकतम रु. 10.00 लाख	रिस्ट्रक्चर राशि का 0.05% अधिकतम रु. 10.00 लाख
(24) छूट की श्रेणीयां	एस.एच.जी., एस.जी.एस.वाय, सभी कमजोर वर्ग के ऋणी, शिक्षा ऋण, शासन प्रायोजित योजनाओं के ऋण, समस्त स्टाफ ऋण में मूल्यांकन शुल्क/ निरीक्षण शुल्क में छूट दी जायेगी। भूतपूर्व स्टाफ जो सामान्य क्रम में रिटायर हुआ हो वह इस छूट हेतु पात्र है। परंतु ऐसे स्टाफ जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो या सेवा से हटाये गये हो को प्रभारों में छूट नहीं दी जायेगी। तथापि भूतपूर्व स्टाफ की विधवाओं को भी प्रकरणों के आधार पर प्रभारों में छूट दी जा सकती है।	एस.एच.जी., एस.जी.एस.वाय, सभी कमजोर वर्ग के ऋणी, शिक्षा ऋण, शासन प्रायोजित योजनाओं के ऋण, <b>रु.3.00 लाख तक के के.सी.सी. ऋण</b> , समस्त स्टाफ ऋण में मूल्यांकन शुल्क/ निरीक्षण शुल्क में छूट दी जायेगी। भूतपूर्व स्टाफ जो सामान्य क्रम में रिटायर हुआ हो वह इस छूट हेतु पात्र है। परंतु ऐसे स्टाफ जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो या सेवा से हटाये गये हो को प्रभारों में छूट नहीं दी जायेगी। तथापि भूतपूर्व स्टाफ की विधवाओं को भी प्रकरणों के आधार पर प्रभारों में छूट दी जा सकती है।

नोट: —

854, Near Maharshi Vidhya Mandir School, Nagpur Road, Sarra, Chhindwara (M.P.) Pin Code - 480 001

Phone no: 07162 - 247485, 245530, Fax:07162-242112, E-mail ID: [cmpgbho@gmail.com](mailto:cmpgbho@gmail.com)

[www.centralmpgraminbank.com](http://www.centralmpgraminbank.com)



प्रधान कार्यालय

हमारा ध्येय-बेहतरीन सेवा

Our Motto-Best Service

HEAD OFFICE

- ◆ सेवा प्रभारों में प्रकरण दर प्रकरण गुणवत्ता के आधार पर 25% तक की छूट के अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधक को जिनमे स्वीकृति उनके द्वारा प्रदान की गई है को छोड़कर होंगे। एवं 50% तक की छूट के अधिकार महाप्रबंधक को होंगे। यदि किसी प्रकरण विशेष में शत प्रतिशत छूट प्रदान करना हो तब इसके अधिकार बैंक के अध्यक्ष को होंगे।
- ◆ उपरोक्त प्रभारों पर समय .समय पर लागू जी.एस.टी./अन्य शासकीय कर अतिरिक्त वसूला जावेगा।

(सी.एस. सांखला)  
महाप्रबंधक

854, Near Maharshi Vidhya Mandir School, Nagpur Road, Sarra, Chhindwara (M.P.) Pin Code - 480 001  
Phone no: 07162 - 247485, 245530, Fax:07162-242112, E-mail ID: [cmpgbho@gmail.com](mailto:cmpgbho@gmail.com)

[www.centralmpgraminbank.com](http://www.centralmpgraminbank.com)

## ऋण एवं अग्रिमों पर सेवा प्रभार

(प्रधान कार्यालय का परिपत्र क्रं. प्र.का./06/FNO.33/साख/2017-18/परिपत्र 73 दिनांक 30.08.2017)

(प्रधान कार्यालय का परिपत्र क्रं. प्र.का./06/FNO.12/साख/2017-18/परिपत्र 48/123 दिनांक 30.08.2017)

## ऋण एवं अग्रिमों पर सेवा प्रभार

(प्रधान कार्यालय का परिपत्र क्रं. प्र.का./06/FNO.33/साख/2017-18/परिपत्र 73  
दिनांक 30.08.2017)

(प्रधान कार्यालय का परिपत्र क्रं. प्र.का./06/FNO.12/साख/2017-18/परिपत्र 48/123  
दिनांक 30.08.2017)